भारतीय रिजर्व बैंक

www.rbi.org.in

आरबीआई /2009-10/142

डीबीओडी.सं.लेज.बीसी. 37/09.07.005/2009-10 सितंबर 2, 2009

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आरआरबी शामिल नहीं)

श्रीमान,

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अंतर्गत स्थापित स्थानीय स्तरीय समितियों के संबंध में सूचना का प्रदर्शन

ग्राहक सेवा पर हमारे प्रधान परिपत्र डीबीओडी.सं.लेज.बीसी. 9/09.07.006/2009-10 दिनांकित 1 जुलाई 2009 के अनुच्छेद 11 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को इस अधिनियम के अंतर्गत अच्छादित विकलांग व्यक्तियों के कानूनी अभिभावकों द्वारा बैंक खाता खोलने / संचालित करने के प्रयोजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जिला न्यायालय या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अंतर्गत स्थापित स्थानीय स्तरीय समितियों (इसके बाद मानसिक विकलांगता कानून कहा गया है) द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण-पत्र पर निर्भर करने की सलाह दी गई है. बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि उनकी शाखाएँ उचित मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता / रिश्तेदारों को इस संबंध में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े.

2. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले एक वाद में, माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सभी बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शाखाएँ एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करें (i) अधिनियमन (मानसिक विकलांगता अधिनियम) के अंतर्गत सुविधाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी; (ii) यह तथ्य कि पक्ष प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए स्थानीय स्तरीय समितियों से संपर्क कर सकते हैं, और कि मानसिक विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य हैं; और (iii) उक्त क्षेत्र की स्थानीय स्तरीय समितियों का विवरण.

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि सूचना स्थानीय भाषा और अंग्रेजी / हिंदी (या दोनों) में प्रदर्शित की जाएगी.

3. बैंकों को न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है. बैंकों को मानसिक विकलांगता अधिनियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी जाती है. यह ध्यान दिया जाने योग्य है कि स्थानीय स्तरीय समितियों का विवरण ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की वेबसाइट, अर्थात, www.thenationaltrust.in पर उपलब्ध है.

आपका

(बी. महापात्रा)
मुख्य महाप्रबंधक